क आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
3/5/18	वकील उभय पक्ष उप0। P0 साहब माह अवकाश पर है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 6/6/18 को पेश हो।	
-6-18	वकील उभयपक्ष उप0/ P0 साहब जनसुनवाई मे पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 20-6-18 को पेश हो।	
-6-18	पत्रावली पेश हुई प्रकरण मे वादी/प्रतिवादी दोनो पक्ष की हाजिरी। P0 साहब आज दौरे पर हैं। पत्रावली आईन्दा दिनांक 26/6/18 (26/6/18) को पेश हो।	
26/6/18	पत्रावली पेश हुई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्र बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। जिसमे तहसीलदार शाहपुरा से दिनांक 5/9/2014 को बटवारा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बटवारा रिपोर्ट पर वकील उभयपक्षों को आपत्ति नहीं है। प्रकरण मे प्रा.पत्र 022 R4 CPC दिनांक 5/11/15 से लम्बित है। चूंकि वाद बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। अतः लोक अदालत की भावना से प्रा.पत्र 022 R4 CPC स्वीकार किया जाता है। प्रकरण संक्षेप मे निम्न प्रकार है कि आ.ख.न. 1696/0-75, 1829/0-75, 1831/0-04, 1832/0-02, 1834/0-28, 1835/0-26 हे. कुल किता 6 रकबा 2-10 हे. वाके ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर मे स्थित है। वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा, प्रति.स.2 लगा. 9 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वादी व प्रति सं. 1 लगा. 9 के पूर्वज स्व. रूपनारायण तीनो सगे भाई है। उक्त आराजी का बटवारा पारिवारिक व सामाजिक परम्पराओ के अनुसार बराबर-बराबर 1/3, 1/3, 1/3, आपसी सहमति से परिवार व रिश्तेदारों की मौजूदगी मे कर लिया था। लेकिन रूपनारायण की मृत्यु होने के बाद प्रतिवादीगण द्वारा कराये बटवारे पर ऐतराज कर पुनः आपसी सहमति से सभी ने आराजी का तीनों हिस्सो मे बराबर-2 बटवारा कर लिया गया। आपसी सहमति के आधार पर हिस्सेदार अपने-अपने हिस्से की कृषि काबिज काश्त है। प्रति स. 1 लगा. 6 आये दिन वादी की भूमि पर कब्जे काश्त मे दखल करते हैं।	

(रवि विजय)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

फर्द अहकाम

अर्जुनलाल बनाम मुरली वगै०

नाम न्यायालय SDO कोर्ट शाहपुरा

केस संख्या 92/2014 धारा 53,188 R.T.ACT

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	26-6-2018 लगातार	प्रति स-3 लगा-6 अपने हिस्से में आई भूमि पर कब्जा काबिज कर रहे हैं। वादी ने दिनांक 1/6/14 को अपने हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य करने पर प्रति-स-2 लगा-6, प्रति-स-1 के कहने (?) वादी को गाय (?) बोलकर मना कर दिया व भूमि (?) हिस्सा (?) भी नहीं देंगे। इस खेत पर पत्थर डालकर मनमर्जी कब्जा प्राप्त कर लेंगे। उक्त आराजी का कानूनी बटवारा नहीं हुआ है। प्रति-स-1 लगा-6 बार-बार पारिवारिक बटवारे का उल्लंघन कर रहे हैं। इस कारण बटवारे का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र में उक्त आराजीयात का पारिवारिक बटवारा व कब्जे के आधार पर कानूनी बटवारा किया जाकर पृथक से खाता (?) रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण 1 लगा 6 को मोड़-तोड़ (?) के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादीगण 1 लगा-9 की ओर से वकील प्रतिवादीगण उप. हुए। प्रति-स-2 लगा-6 की ओर से जवाब दावा पेश किया। प्रति-स-2 लगा-6 ने अपने जवाब दावे में उक्त आराजी का बटवारा कराये जाने की सहमति दी है। प्रति-स-7 लगा-9 नाबालिग होने से उनकी माता प्रति स-6 संरक्षक है। दिनांक 7/7/14 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार शाहपुरा ने दिनांक 5/9/14 को बटवारा रिपोर्ट पेश हुई। तहसीलदार बटवारा रिपोर्ट पर वकील उभयपक्षों को आपत्ति नहीं है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बटवारा रिपोर्ट सही तैयार की गई है। अतः सक्षम राजस्व लोक अदालत अभियान से मुताबिक बटवारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ख- ख-न- 1696/0-75, 1829/0-75, 1831/0-04, 1832/0-02, 1834/0-28, 1835/0-26 कुल किता 6 रकबा 2-10 हे- वाके ग्राम शाहपुरा तह- शाहपुरा जयपुर का खातेदारान के मध्य उक्त अनुसार बटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।	

92/2014 दावा 53/188 RTAct

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26-6-18 [illegible]	(1) प्रति-स-1 की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान प्रति-स-1/1 से 1/4 के बटवारे में आ-ख-नं-1696/2 रकबा 0-50, 1835/2 रकबा 0-03, 1834/2 रकबा 0-13 हे. कुल किता 3 रकबा 0-66 हे. कामिल हिस्से में रहेगी। (2) वादी के बटवारे में आ-ख-न-1696/1 रकबा 0-25, 1829/1 रकबा 0-27, 1834/1 रकबा 0-12, 1834/4 रकबा 0-02 हे. कुल किता 3 रकबा 0-66 हे. कामिल हिस्से में रहेगी। (3) प्रति-स-2 का हिस्सा 1/5, प्रति-स-3,4,5 हि. 3/5 व प्रति-स-6 लगा-9 का हिस्सा 1/5 के बटवारे में आ-ख-न- 1829/2 रकबा 0-46, 1835/1 रकबा 0-20 हे. कामिल हिस्से में रहेगी। (4) प्रति-स-1 के विधिक वारिसान प्रति-स-1/1 से 1/4 का हिस्सा 1/3, प्रति-स-2 लगा-5 का हिस्सा 4/15, प्रति-स-6 लगा-9 का हिस्सा 1/15 के बटवारे में आ-ख-न- 1829/3 रकबा 0-02, 1831/1 रकबा 0-01, 1831/2 रकबा 0-03, 1832 रकबा 0-02, 1834/3 रकबा 0-01, 1835/4 रकबा 0-01, 1835/2 रकबा 0-02 हे. कुल किता 7 रकबा 0-12 हे. कामिल हिस्से में रहेगी। रिपोर्ट बटवारा एवं नक्शा इस निर्णय का जुज रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्त ख-न- से सम्बन्धित विचाराधीन अन्य प्रकरण में जारी स्थगन आदेश इस निर्णय डिक्री पर प्रभावी नहीं रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे बाबत में किसी प्रकार की मदाखलत पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (रविविजय) उप. खण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)	